(5)

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.
अपील सं. 30/2024

1. डालाराम पुत्र स्व. श्री श्रीराम जाति ब्राहम्ण निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. अनिल कुमार पुत्र श्री डालाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

अपीलांट्स

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. नायब तहसीलदार (राजस्व) तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

रेस्पोडेंट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 11.06.2024 तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिसकी रूह से रास्ता की भूमि पत्थर नम्बर 186 / 324 के किला नम्बर 11/2, 20/1, 21/2 की पैमाईश की गई जिस आधार पर रास्ते की भूमि जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि पत्थर नम्बर 185 / 324 के किला नम्बर 15, 16, 25 में होना माना। बमुराद मंसूखी उक्त आदेश एवं स्वीकार किये जाने उक्त अपील।

उपस्थितः– 1. श्री विनोद कुमार पारीक अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

–ःनिर्णयः–

दिनांकः–10.1.2025

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट संख्या 1 व 2 परस्पर पिता पुत्र हैं व अपीलांट संख्या 1 डालाराम व उनके हकीकी भाई दुलीचन्द पुत्र श्रीराम के नाम चक 1 एम.डी. के पत्थर नम्बर 185 / 324 के किला नम्बर 6 ता 25 तादादी 4.515 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। उक्त कृषि भूमि का विभाजन हो जाने के पश्चात् अपीलांट संख्या 1 को पत्थर नम्बर 185 / 324 के किला नम्बर 16, 17, 24, 25 अर्थात 1.012 हैक्टेयर कृषि भूमि व अपीलांट संख्या 2 को पत्थर नम्बर 185 / 324 के किला नम्बर 6/1/.013, 6/3/.038, 7/1/.025, 7/3/.114, 8/1/.026, 8/3/.202, 13, 14, 15/1/.228, 15/2/.025 तादादी 1.177 हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्त हुई। उक्त समस्त कृषि भूमि पत्थर नम्बर 185 / 324 के किला नम्बर 6 ता 25 की अपीलांट संख्या 1 व अपीलांट के भाई दुलीचंद द्वारा पैमाईश हेतु प्रार्थना पत्र माह जून 2010 में दिया गया था जिसमें तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा पैमाइश करवाई जाकर अपीलांट संख्या 1 व उनके भाई को कृषि भूमि की निशानदेही दी गई तब से लगातार अपीलांट अपनी कृषि भूमि पर काबिज चले आ रहे है व उपयोग उपभोग कर रहे हैं। अपीलांट की कृषि भूमि के उत्तरी तरफ खाला एवं नहर बाउण्ड्री एवं दक्षिणी तरफ गांव की फिरनी व पूर्वी तरफ पत्थर नम्बर 186 / 324 मुरब्बा नं० 18 के किला नम्बर 11/2, 20/1, [illegible] दर्ज है जो गांव में जाने हेतु पक्की सड़क के रूप में निर्मित किया हुआ है व न[illegible]ड से नहर की पुली से सीधा रास्ता मंजूरशुदा है जो पत्थर नम्बर [illegible] है। उक्त रास्ता गत् 40–50 वर्ष से जब से नहर नि[illegible] रूप से चला आ रहा है। अपीलांट की पूर्वी तरफ के काश्तकारों की कृषि भूमि पत्थर नम्बर 186 / 324 में [illegible] है तथा उनकी कृषि भूमि के किला नम्बर 11/1, 20/1,2[illegible] में मंजूरशुदा रास्ता स्थि[illegible] एवं अपीलांट व अपीलांट के पूर्वी तरफ के काश्तकारों की कृषि भूमि के दक्षिणी तरफ गांव की फिरनी स्थित है जिसको ग्राम पंचायत द्वारा नवनिर्मित एवं चौड़ा करने हेतु प्रयासरत है जिस हेतु उनके द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 के समक्ष उक्त फिरनी की पैमाईश का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा पैमाईश के आदेश दिये गये। इसी दौरान रेस्पोडेंट

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:03:47 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

(6)

संख्या 1 के समक्ष अपीलांट के पूर्वी तरफ के काश्तकारों द्वारा उक्त रास्ता पत्थर नम्बर 185 / 324 के किला नम्बर 11/2, 20/1 व 21/2 की पैमाईश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा पैमाईश के आदेश जारी किये गये। दिनांक 11.06.2024 को उक्त दोनों आदेशों की पालना में हल्का पटवारी द्वारा पैमाईश की गई जिस पर पत्थर नम्बर 185 / 324 के किला नम्बर 11/2, 20/1, 21/2 में स्थित रास्ता को अपीलांट की कृषि भूमि पत्थर नम्बर 185 / 324 के किला नम्बर 15, 16, 25 में रास्ता की भूमि होना मानकर अपीलांट को धारा 22 का नोटिस प्रेषित किया गया। उक्त पैमाईश के दौरान ना तो अपीलांट को कोई सूचना दी गई व ना ही अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा व विधि विरूद्ध एवं न्याय के सिद्धांत के विपरीत आदेश से व्यथित होकर अपीलांट निम्नलिखित आधारों पर अपील प्रस्तुत कर रहा हैः–

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.04.2022 को अपनी कृषि भूमि की पैमाईश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें रेसपोडेंट के अधीनस्थ हल्का पटवारी द्वारा उक्त कृषि भूमि का कोई पत्थर उपलब्ध नहीं होने तथा एक तरफ नहर की बाउण्ड्री एवं एक तरफ ग्राम पंचायत का आबादी क्षेत्र होने का कथन कर सीमा ज्ञान संभव नहीं होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर रेस्पोडेंट द्वारा अधिशाषी अभियंता सिंचाई विभाग को भी उक्त पैमाईश के दौरान उपस्थित रहने हेतु पाबन्द किया गया तत्पश्चात अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर कोई सीमा ज्ञान नहीं करवाया गया। जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.06.2024 से पूर्व का प्रस्तुत किया हुआ था। दिनांक 11.06.2024 की पैमाईश में ना तो अपीलांट को कोई सूचना दी गई व ना ही सहायक अभियंता सिंचाई विभाग को कोई सूचना दी गई तथा आनन फानन में उक्त पैमाईश की गई जो कतई गलत एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त कृषि भूमि अपीलांट संख्या 1 व अपीलांट संख्या 1 के हकीकी भाई दुलीचंद पुत्र श्रीराम के नाम से संयुक्त खाता में पत्थर नम्बर 185 / 324 के किला नम्बर 6 ता 25 तादादी 4.515 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। उक्त कृषि भूमि का अपीलांट संख्या 1 व उनके हकीकी भाई के मध्य विभाजन होने से पूर्व अपीलांट द्वारा माह जून 2010 में उक्त कृषि भूमि की पैमाईश करवाई गई थी जिसमें बाद पैमाईश अपीलांट व अपीलांट के भाई को रेस्पोडेंट द्वारा निशानदेही दे दी गई जिस पर लगातार अपीलांट काश्त करते आ रहे हैं। यदि पत्थर नम्बर 186 / 324 के किला नम्बर 11, 20, 21 में दर्ज रास्ता अपीलांट की कब्जा काश्त की भूमि में होता तो रेस्पोडेंट द्वारा सन् 2010 से ही अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती थी लेकिन अपीलांट का अभिलेख में दर्ज कृषि भूमि पर ही कब्जा काश्त है इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.2024 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन पैमाईश आदेश दिनांक 11.06.2024 जिसमें कोई निर्विवादित पत्थर गढी से पैमाईश नहीं की गई व ना ही उक्त पैमाईश में जरीब का उपयोग किया गया। उक्त पैमाईश विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत की गई है जिस कारण उक्त पैमाईश आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त समस्त तथ्यों का रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा जारी धारा 22 का नोटिस दिनांक 26.06.2024 जिसमें दिनांक 04.07.2024 को उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया था, का प्राप्त होने पर अपीलांट को उक्त समस्त तथ्यों की एवं पैमाईश आदेश की जानकारी हुई तब अपीलांट द्वारा उक्त पैमाईश दिनांक 11.06.2024 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त की तथा ज्ञान के दिवस से उक्त अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। जिस हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर आक्षेपित पैमाईश आदेश दिनांक 11.06.2024 को अपास्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 01, 02 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 11.06.2024 को हल्का पटवारी द्वारा पैमाईश की गई जिस पर पत्थर नम्बर 185 / 324 के किला नम्बर 11/2, 20/1, 21/2 में स्थित रास्ता को अपीलांट की कृषि भूमि पत्थर नम्बर 185 / 324 के किला नम्बर 15, 16, 25 में रास्ता की भूमि होना मानकर अपीलांट को धारा 22 का नोटिस प्रेषित किया गया। उक्त पैमाईश के दौरान ना तो अपीलांट को कोई सूचना दी गई व ना ही अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया। अपीलाधीन पैमाईश आदेश दिनांक 11.06.2024 जिसमें कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:03:47 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

(7)

निर्विवादित पत्थर गढी से पैमाईश नहीं की गई व ना ही उक्त पैमाईश में जरीब का उपयोग किया गया। उक्त पैमाईश विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्वांतों के विपरीत की गई है जिस कारण उक्त पैमाईश आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि पटवार हल्का मेहरवाला से उक्त तथ्यों पर रिपोर्ट ली गयी। मुताबिक रिपोर्ट पटवार हल्का मेहरवाला के तहसीलदार टिब्बी के आदेश क्रमांक 643 दिनांक 15.05.2024 की पालना में ग्राम पंचायत मेहरवाला द्वारा प्रस्तुत आवेदन गैर विवादित फिरनी जो कि आबादी भूमि में पड़ती है तथा उतरी दिशा की तरफ कृषि भूमि से सटी है का सीमाज्ञान व इस कार्यालय के आदेशानुसार 71 दिनांक 05.06.2024 पर प्रार्थीगण शिवलाल, हेतराम, संदीप वगैराह जाति मेघवाल द्वारा 1 एमडी प. नं० 186 / 324 मुरब्बा नं0 18 कुल रकबा 2.6570 है0 संयुक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2024 को भू.अ. निरीक्षक वृत सिलवाला खुर्द, पटवारी पटवार हल्का मेहरवाला, सरपंच ग्राम पंचायत मेहरवाला व प्रधान पंचायत समिति टिब्बी तथा फिरनी से सटी कृषि भूमि के काश्तकार डालाराम पुत्र श्रीराम, अनिल पुत्र डालाराम जाति ब्राहम्ण व प्रार्थीगण शिवलाल, हेतराम, संदीप वगैराह जाति मेघवाल की मौजूदगी में ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गयी **डीजीपीएस** मशीन से किया गया। अतः यह तथ्य अस्वीकार है कि उक्त पैमाइश के दौरान ना ही अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गयी। अनिल पुत्र डालाराम डालाराम पुत्र श्रीराम द्वारा दिनांक 27.04.2022 को स्वयं की कृषि भूमि की पैमाईश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें तत्समय पटवार हल्का द्वारा नजदीकी पत्थरों के अभाव में दूरबीन द्वारा सीमाज्ञान करवाये जाने व सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि मौके पर उपस्थित होने की रिपोर्ट की गयी जिसकी चित्रप्रति प्रार्थीयान अनिल पुत्र डालाराम, डालाराम पुत्र श्रीराम जाति ब्राहम्ण द्वारा स्वयं प्रस्तुत की गयी है। चूंकि एक तरफ आबादी होने व नजदीकी पत्थर न होने के कारण दिनांक 11.06.2024 को मौके पर जरीब के बजाय ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई डीजीपीएस मशीन द्वारा सीमाज्ञान कराया गया। तत्समय जून, 2010 को प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाया था। परतुं ग्राम पंचायत मेहरवाला के प्रस्तुत आवेदनानुसार गैर विवादित फिरनी का सीमाज्ञान तहसीलदार टिब्बी के आदेश क्रमांक 643 दिनांक 15.05.2024 की पालना में किया गया। सीमाज्ञान से ज्ञात हुआ कि चक 1 एमडी के प.नं० 186 / 324 मु.नं0 18 के किला नं0 11 / 2,20/1,21 / 2 प्रत्येक किले में रकबा 0.025 है0 गै.मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड नक्शा में दर्ज अनुसार मौके पर यथास्थान पर न चलकर खातेदार शिवलाल, हेतराम, संदीप वगैराह जाति मेघवाल की खातेदार भूमि प नं0 186 / 324 मु.नं० 18 किला नं० 11/3,11/4,20/2,21 / 1 में चल रहा है तथा किला नं० 11/2, 20/1, 21/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज गै. मु.रास्ते की भूमि पर अनिल पुत्र डालाराम व डालाराम पुत्र श्रीराम जाति ब्राहम्ण साकिन मेहरवाला द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। सीमाज्ञान से ज्ञात होने के उपरान्त पटवारी पटवार हल्का मेहरवाला द्वारा नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते पर अतिक्रमण की राजस्थानं उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत इस कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। नजदीकी पत्थर के अभाव में व एक तरफ फिरनी / आबादी होने के कारण सीमाज्ञान ग्राम पंचायत मेहरवाला द्वारा उपलब्ध कराई गई डीजीपीएस मशीन द्वारा किया गया। तहसीलदार टिब्बी के आदेश कमांक 643 दिनांक 15.05.2024 की पालना में ग्राम पंचायत मेहरवाला द्वारा प्रस्तुत आवेदन गैर विवादित फिरनी जो कि आबादी भूमि में पड़ती है तथा उतरी दिशा की तरफ कृषि भूमि से सही है का सीमाज्ञान व इस कार्यालय के आदेशानुसार 71 दिनांक 05.06.2024 पर प्रार्थीगण शिवलाल, हेतराम, संदीप वगैराह जाति मेघवाल द्वारा 1 एमडी प.नं० 186/324 मुरब्बा नं० 18 कुल रकबा [illegible] भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2024 को भू.अ. निरीक्षक वृत सिलवाला खुर्द, [illegible] हल्का मेहरवाला, सरपंच ग्राम पंचायत मेहरवाला व प्रधान [illegible] कृषि भूमि के काश्तकार डालाराम पुत्र श्रीराम, [illegible] प्रार्थीगण शिवलाल, हेतराम, संदीप वगैराह जाति मेघवाल [illegible] पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गयी डीजीपीएस मशीन से किया गया। पटवारी पटवार हल्का [illegible]रवाला की दैनिक डायरी 11.06.2024 में अंकित है कि काश्तकार अनिल पुत्र डालाराम, व डालाराम पुत्र श्रीराम ने हस्ताक्षर करने से मना किया। निवेदन है कि अपीलांट द्वारा गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में स्पष्ट आधार प्रस्तुत नहीं किये है। अपीलांट द्वारा अपूर्णीय क्षति बाबत मिथ्या तथ्य प्रस्तुत किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:03:47 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

(8)

गये है जबकि मुताबिक सीमाज्ञान अतिक्रमण गै.मु. रास्ता भूमि पर है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें चुनौतीधीन निर्णय व आदेश की जानकारी नायब तहसीलदार द्वारा जारी धारा 22 का नोटिस दिनांक 26.06.24 जिसमें 04.07.24 को उपस्थित आने हेतु पाबंद किये जाने पर अपीलांट को जानकारी हुई। अपीलांट ने उसके पश्चात अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि हासिल कर बिना देरी के दिनांक 29.07.2024 को अपील प्रस्तुत की। अपीलांट ने विलंब का कारण तथा इसके संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। न्यायहित में अपीलांट का दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है।

पत्रावली अवलोकन करने व उभय पक्षकारान की बहस पर मनन करने के पश्चात पाया किः—

1. अपीलाधीन पैमाईश दिनांक 11.06.2024 के दौरान अपीलांट्स के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे सिद्ध होता है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है।
2. दैनिक डायरी 11.06.2024 का अवलोकन करने पर पाया कि नायब तहसीललदार/तहसीलदार टिब्बी के आदेश की पालना में चक 01 एमडी में ग्राम पंचायत मेहरवाला में मौके पर संबंधित काश्तकारों व मौतबिरानों की सहमति से ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गयी DGPS मशीन द्वारा उक्त प्रकरण में वर्णित भूमि के निशानात दिये गये। अपीलांट ने हस्तगत प्रकरण में निशानदेही के संबंध में आपत्ति की है कि निशानदेही पत्थरगढी/जरीब से पैमाईश नहीं की गयी है।

अतः उक्त विवेचना के अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निशानदेही आदेश दिनांक 11.6.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को प्रतिप्रेषित किया जाता है और निर्देश दिये जाते है कि व्यथित पक्षकार के आवेदन पर विधि अनुसार दोनों पक्षों को सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:03:47 IST
Reason: SelfAttested